380 sale 15,77,700/- (1) P.S. Jasidih 317

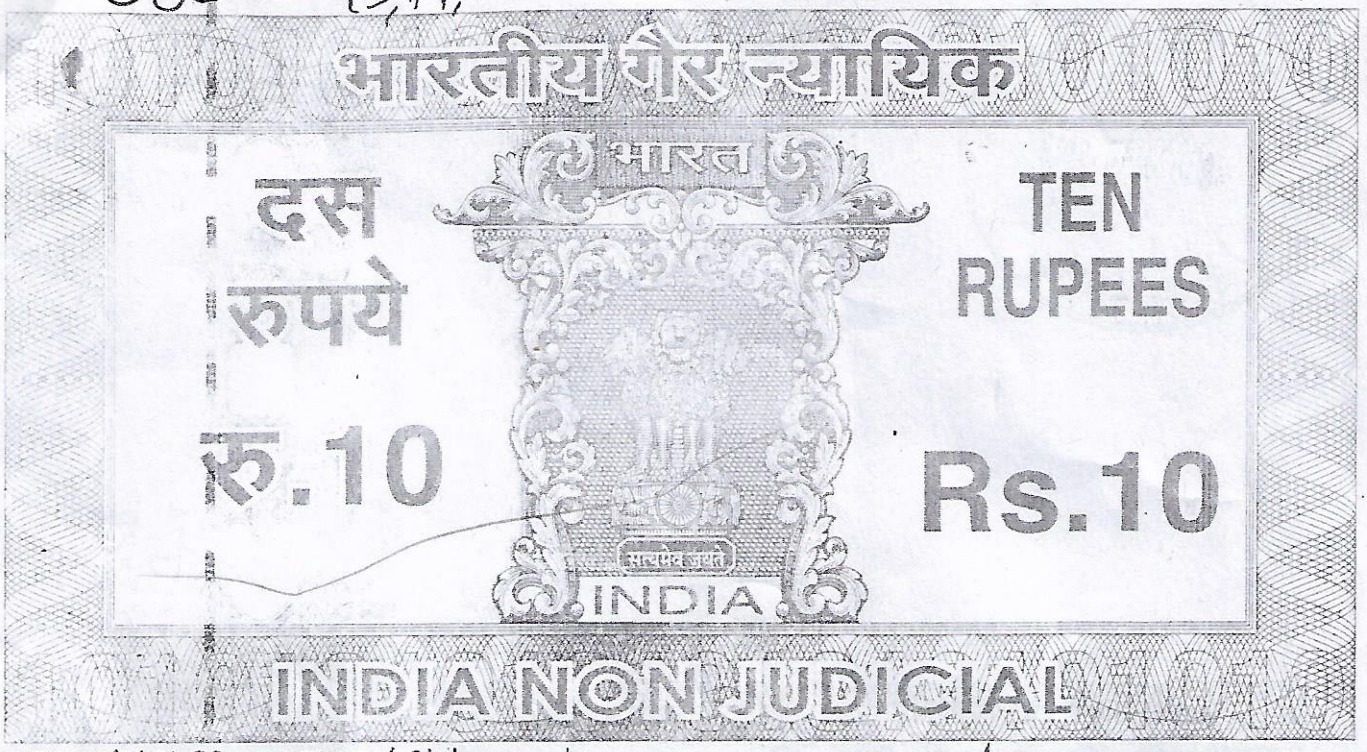

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2.79 x 565482 = 1577694/-

झारखण्ड JHARKHAND

06AA 542618

Sale Deed

केवालादाता श्री श्रीमुरारी पिता स्व0 श्याम सुन्दर सिंह, दादा–स्व0 गंगा सिंह, जाति– भूमिहार ब्राह्मण, पेशा–वकालत, साकिन –पहाड़कोठी, जसीडीह, थाना–जसीडीह, सवडिविजन, सवरजिष्ट्री व जिला– देवघर, राष्ट्रीयता– भारतीय। के तरफ से वजरिये आम मोख्तार **श्री गोपाल कुमार सिंह,** पिता स्व0 हरिशचन्द्र सिंह, दादा– स्व0 फोदी सिंह, जाति– राजपूत, पेशा–व्यवसाय, साकिन– कुशमाहा, पोस्ट–देवपुर, थाना–जसीडीह, सवडिविजन, सवरजिष्ट्री व जिला– देवघर, राष्ट्रीयता– भारतीय आम मोख्तार पुस्तक संख्या–IV, जिल्द संख्या–15, पृष्ठ संख्या 313 से 430 तक में निबंधित जिसकी संख्या–136 दिनांक 14.12.2018 जो निबंधन कार्यालय, देवघर द्वारा निबंधित है। **आम मोख्तारनामा की छाया प्रति संलग्न अनुलग्नक–1**

(2)

30/4/19

केवालाग्रहितृ– श्रीमती पुतुल देवी पिता– स्व0 नन्दलाल मंडल, दादा स्व0 वृजन मंडल, पति श्री सुरेन्द्र मंडल, जाति– कुर्मी, पेशा–गृहिणी, साकिन–नाहस रूपौली, भाया अरेरहाट, थाना– बिस्फी, जिला – मधुबनी, बिहार। आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार – विक्रय खोश केवाला दलील।

कीमत जायदाद – मो0 9,13,500/– (नौ लाख तेरह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र।

विवरण जायदाद– थाना– 118, जमाबंदी नं0– 50/90 जिला– संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन वो सबरजिस्ट्री – देवघर तालुक –रोहिणी, थाना–जसीडीह सामिल मौजा जसीडीह के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन, सेटलमेंट प्लॉट नं0– 692 का अंश सव प्लॉट नं0–सी/6 का अंश रकवा – 1218 वर्गफीट यानि 2.79 डिसमिल जमीन जो शामिल शुदा नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश अंदर हल्का देवघर नगर निगम वार्ड नं0– 2 होल्डिंग नं0 –0020001732000M0 मय कुल हक–हकूक बिक्री किया। जिसकी चौहदी :–

उत्तर – सव प्लॉट नं0–सी/6 का अंश। प्लॉट नं0– 692 का अंश। अनिता देवी का जमीन।
इधर की माप – 58'–0'' फीट।

दक्षिण – प्लॉट नं0– 692 का अंश। कुमारी सरीता का जमीन।
इधर की माप – 58'–0'' फीट।

पुरब – रोड।
इधर की माप – 21'–0'' फीट।

पश्चिम – 10'–0'' फीट चौड़ा प्रपोज्ड रोड।
इधर की माप – 21'–0'' फीट।

(3)

30/4/19

विदित हो कि जसीडीह टाउन के अंतर्गत मौजा जसीडीह नं0–118 के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन सेटलमेंट प्लॉट नं0– 692/723 अंदर जमाबंदी नं0–50/89 रकवा–2 एकड़ 47 डिसमिल व सेटलमेंट प्लॉट नं0–692 रकवा 3 एकड़ 14 डिसमिल, जमाबंदी नं0–50/90 जो सेटलमेंट पर्चा में संतोष कुमार घोष वल्द सरद चन्द्र घोष के नाम से सेटलमेंट पर्चा में बसौड़ी दर्ज है। पर्चा की छाया प्रति आम मोख्तारनामा के साथ संलग्न।

विदित हो कि जसीडीह टाउन के अंतर्गत मौजा जसीडीह नं0 118 के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन सेटलमेंट प्लॉट नं0–692 रकवा 3.14 तीन एकड़ चौदह डिसमिल जमाबंदी नं0 50/90 व सेटलमेंट प्लॉट नं0– 692/723 रकवा 2.47 दो एकड़ सैंतालीस डिसमिल जमीन जमाबंदी नं0 50/89 के मालिक व दखलकार शरत चन्द्र घोष थे। शरत चन्द्र घोष उपरोक्त सम्पति पर ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए अपने पीछे एक मात्र पुत्र संतोष कुमार घोष एवं विधवा पत्नी कुमुदनी घोष को छोड़कर दिनांक 17.12.1934 ईस्वी को स्वर्गवास कर गये। संतोष कुमार घोष उपरोक्त सम्पति को निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए अपने पीछे एक मात्र पुत्र सजल कुमार घोष एवं माता कुमुदनी घोष को छोड़कर दिनांक 2 जून 1963 ईस्वी को स्वर्गवास कर गये। कुमुदनी घोष भी दिनांक 24.12.1964 ईस्वी को अपने पीछे अपने पौत्र सजय कुमार घोष को अपना कानुनी उतराधिकारी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सजल कुमार घोष उपरोक्त सम्पति को मालिक वो दखलकार हुए। सजल कुमार घोष की दिनांक 27 अप्रैल, 1974 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया, जो अविवाहित था। सजल कुमार घोष के मृत्योपरान्त उपरोक्त सम्पति के दखल में सतीनाथ मित्रा व द्विप्तीनाथ मित्रा दोनों के पिता राय बंकु बिहारी मित्रा जो कुमुदनी घोष के भाई एवं सजल कुमार घोष के मामा थे समान रूप से दखलकार में आए जिसका कि माननीय मुख्य न्यायाधिश सीटी सिविल कलकता के न्यायालय में उतराधिकारी प्रमाण पत्र संख्या 364/75 के द्वारा सतीनाथ मित्रा व दिप्ती नाथ मित्रा को सजल कुमार घोष का उतराधिकारी बनाया गया एवं निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए अंचल कार्यालय, देवघर व नोटीफाइड एरिया कमिटी जसीडीह में अपने नाम से नामान्तरण कराकर सलाना खजाना व नोटीफाइड एरिया का टैक्स अदाय करते हुए निर्विवाद रूप भोगवान व दखलकार रहे।

(4)

30/4/19

विदित हो कि जसीडीह टाउन के अंतर्गत मौजा जसीडीह नं0 118 के अंदर नगर निगम, देवघर वार्ड नं0– 2 के अंदर बसौड़ी सत्व की जमीन सेटलमेंट प्लॉट नं0 692/723, 692 अंदर जमाबंदी नं0 50/89, 50/90 कुल रकवा 5.61 एकड़ जमीन दिनांक 6.10 1982 ईस्वी को वजरिये निबंधन कार्यालय, कोलकाता से निबंधित दो कीता केवाला दलील जिसकी पुस्तक संख्या–I जिल्द संख्या 77 पृष्ठ संख्या 186 से 196 तक में निबंधित जिसकी संख्या 8827 वर्ष 1982 के द्वारा श्री दिप्ती नाथ मिश्रा, पिता राय बंकु बिहारी मित्रा, साकिन 26 एच गोपाल चटर्जी रोड कोलकाता–2 के निवासी से बिना बंटवारा का उक्त सम्पति में रकम आधा वो पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या 77 पृष्ठ संख्या 173 से 185 तक में निबंधित जिसकी संख्या 8826 वर्ष 1982 के द्वारा उक्त सम्पति में आधा अंश श्री सती नाथ मिश्रा पिता राय बंकु बिहारी मित्रा, साकिन 26 एच गोपाल चटर्जी रोड कोलकाता–2 के निवासी से श्याम सुन्दर सिंह, पिता गंगा सिंह, साकिन पहाड़कोठी जसीडीह, थाना–जसीडीह जिला– देवघर के निवासी ने खरीदकर तथा उस पर दखल कब्जा लेकर अंचल कार्यालय देवघर में अपने नाम से नामान्तण वाद संख्या 346/98–99 आदेश दिनांक 26.05.1999 के द्वारा नामान्तरण कराकर साल वो साल मालगुजारी अदाय देते हुए ताजिन्दगी उस पर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए अपने पीछे पाँच पुत्रगण क्रमशः कमल नयन, नरेन्द्र सिंह, निरंजन, प्रवेश कुमार सिंह तथा श्री मुरारी को छोड़कर स्वर्गवास कर गए।

श्याम सुन्दर सिंह के स्वर्गवास कर जाने के बाद उनके कुल सम्पतियों को वारिस सूत्र से प्राप्त कर उनके उपरोक्त पुत्रों ने उक्त सम्पति पर दखल कब्जा लेकर इजमाल रूप से भोग दखल करते हुए मालिक व दखलकार हुए।

श्याम सुन्दर सिंह के स्वर्गवास कर जाने के बाद उपरोक्त सम्पति के बंटवारा बावत सभी भाईयों ने In the Court of Subordinate Judge Deoghar-IIIrd के अदालत में टाईटल पार्टिशन सूट नं0 155/12 कमल नयन वगैरह बनाम नरेन्द्र सिंह वगैरह के बीच मुकदमा दायर किया गया। उक्त मुकदमा के सुलहनामा के आधार पर उपरोक्त सम्पति के अंदर मार्क सी का अंश रकवा 33033 वर्गफीट जमीन मुझ केवालादाता के हिस्से में मिला। मैं केवालादाता अपने हिस्से में

प्राप्त सम्पति अंचल कार्यालय, देवघर में नामान्तरण वाद संख्या–223/16–17 आदेश दिनांक 05.07.2016 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण करवाकर तथा नगर निगम में भी अपना नाम दर्ज कराकर सलाना खजाना व नगरपालिका टैक्स अदाय करते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल कर रहा हूँ। नामान्तरण आदेश एवं खजाना रसीद की छाया प्रति आम मोख्तरनामा के साथ संलग्न।

अभी मुझ केवालादाता को अपने पुत्री के विवाह में ऋण वसुल करने के लिये रूपये की अति आवश्यकता है। रूपये का बंदोवस्त अपने पास से वो अन्य उपाय से होते न देखकर उपर खाना विवरण में वर्णित सम्पति (जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित है) बिक्री करने का एलान किया।

आप केवाला ग्रहितृ उसे अपने संचित स्त्रीधन से खरीद करने का इच्छा जाहिर करने पर जायदाद मजकुर का कीमत अभी की बाजार दर से वो उभय पक्षों की मंजूरी से मो0 9,13,500/– (नौ लाख तेरह हजार पाँच सौ) रूपए मात्र कायम हुए।

अतएव आज तारीख मैं केवालादाता ने आप केवाला ग्रहितृ से निम्नलिखित पावती रसीद मुताबिक मो0 9,13,500/– (नौ लाख तेरह हजार पाँच सौ) रूपये लेकर उपर खाना में वर्णित जमीन जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिन्हित हैं, आपके पास बिक्री कर दिया तथा उस पर दखल कब्जा दे दिया ।

अब आप केवाला ग्रहितृ मुझ केवालादाता के सत्व वो दखल से सत्ववति वो दखलकारिणी होकर दान, बिक्री, मोरगेज वो नाना प्रकार के हस्तान्तरण आदि करने के पुर्ण अधिकारिणी होकर अपने पुत्र–पौत्रादि स्थलाभिषिक्तगण क्रम से सदा सर्वदा के लिये सुख पुर्वक भोग दखल करती रहें। इसमें मुझ केवालादाता मय वारिशान को किसी तरह का उज्र आपत्ति नहीं होगा और न कोई भी कर सकेगा। यदि कोई करे या करावे तो वह सरे अदालत नजायज वो वातिल होगा।

बिक्रीत सम्पत्ति के मैं केवालादाता मालिक वो दखलकार हूँ। इसमें दिगर अंशदार या हकदार नहीं है और न कभी भी किसी तरह का दाय–संयुक्त या हस्तांतरण ही किये है। यानी बिक्रीत सम्पत्ति हर तरह से वो हर तरफ से पाक वो साफ हैं।

(6)

भागवत कुमार 30/4/19

उपरोक्त उक्तियों के खिलाफ अगर साबित हो या बिक्रीत सम्पत्ति के किसी भी अंश से बेदखल होने पर उस स्थिति में मैं केवालादाता आप केवाला ग्रहितृ के कीमत का कुल रूपये मय हर्जाना वो खर्चा का देनदार रहूँगा

इस बिक्रय पत्र के एवज में भविष्य में मुझ केवालादाता को कुछ लिखने या करने की जरूरत पड़ने पर उस स्थिति में आप केवाला ग्रहितृ के अनुरोध वो खर्च से वैसा लिखने या करने के लिये तैयार रहूँगा।।

एतदर्थ अपने मन वो शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे के अपने स्वेच्छा से कीमत का कुल रूपये पाकर यह बिक्रय खोश केवाला दलील लिख दिया, जो प्रमाण रहे। इति तारीख – 30-4-2019

घोषणा :– बिक्रीत सम्पत्ति अन्य रोड में है, जो आवासीय है। निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैर मजरूआ/ आम भूमि, गैर मजरूआ खास भूमि/ वन भूमि/ जंगल आदि/ विभिन्न विभागीय के अर्जित हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अंतर्गत नहीं है, उक्त बिक्रीत सम्पति गोचर, भूहदबंदी आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अंतर्गत भी नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पति सी0बी0आई0 जाँच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है।

गवाहन्

रामभवन सिंह 30/4/19
S/O Billar Singh.
FCI. FSD Baidyanath Road
Jasidih. Po- Jasidih. PS- Jasidih.
Deoghar - 9546515241

Dayanand Paswan 30/4/19
S/O कामेश्वर पासवान
आरोग्य भवन रोड
एफ. सी. आई जसीडीह
देवघर झारखण्ड - 814142
Mob - 6299574287

दस्तावेज फरिकैन को
पढ़कर सुना वो समझा दिया।
प्रारूपकर्त्ता

रघुवी पंडित

डीड राईटर, देवघर
अनुज्ञप्ति संख्या– 7 वर्ष – 91
तारीख : 30-4-19

(7)

30/4/19

पावती रसीद *Memo of Consideration*

मैं केवालादाता आप केलवाग्रहितृ से नीचे लिखे मुताबिक भुगतान पाए।

बैंक का नाम	चेक/ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	रकम
भारतीय स्टेट बैंक जसीडीह	675252	30.4.19	3,00,000.00
भारतीय स्टेट बैंक जसीडीह	675253	30.4.19	2,00,000.00
भारतीय स्टेट बैंक जसीडीह	675254	30.4.19	3,48,800.00
		नगद —	64,700.00
		कुल -	9,13,500.00

कुल रकम नौ लाख तेरह हजार पाँच सौ रुपये मात्र

(8)

SPECIMEN FORM FOR FIVE LEFT HAND FINGER PRINTS

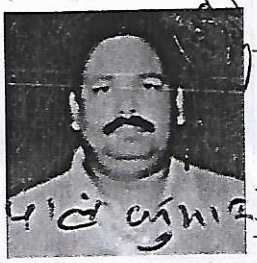

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

30/4/19

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

30/4/19

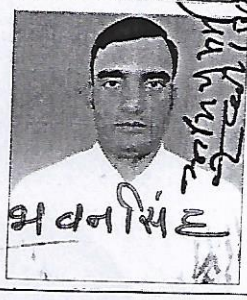

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

30/4/19

LITTLE FINGER	RING FINGER	MIDDLE FINGER	FOUR FINGER	THUMB

Dayanand Paswan

30/04/19

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में लगी छाया चित्र एवं उनके बायें हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

30/04/19

DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No. : 506027040120034319
Date : 04-01-2020
प्रभावी : 1 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री **PUTUL DEVI W/O SURENDRA MANDAL,**
मोहल्ला **KAJARIYA COLONY JASIDIH DEOGHAR , 9546923599**
DEOGHAR , 814142

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - **0020001899000M0** वार्ड सं. **2** हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू. निर्धारित किया गया है ।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	42.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		42.00

पुतूल देवी

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा ।
   हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें ।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।